कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

//परिपत्र//

क्रमांक क्यू/12–56/2023 भोपाल,दिनांक 09 फरवरी, 2024

प्रायः यह देखने में आ रहा है, कि जिला न्यायालय भोपाल एवं तहसील न्यायालय बैरसिया में पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण न्यायालयों/अनुभागों में जींस टी–शर्ट एवं भड़कीले रंगों वाली वेशभूषा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपने निर्धारित पूर्ण गणवेश में न्यायालयों/आवासीय कार्यालय में उपस्थित न होकर सामान्य कपड़ों में उपस्थित होकर कार्य संपादित करते है, जो कि उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के दिशा–निर्देशानुसार जिला न्यायालय भोपाल एवं तहसील न्यायालय बैरसिया में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण कार्यालयीन शिष्टाचार बनाये रखने के लिये न्यायालयों/अनुभागों में जींस टी–शर्ट एवं भडकीलें रंगों वाली वेशभूषा में उपस्थित न होकर साधारण रंग के वस्त्रों एवं सादगीपूर्ण औपचारिक वेशभूषा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण न्यायालयों/अनुभागों/आवासीय कार्यालय में निर्धारित पूर्ण गणवेश में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 1055/12–56/2023 भोपाल, दिनांक 09 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि :–

(1) विशेष न्यायाधीश(अ.जा.,अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधि.)भोपाल

(2) विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम क्र. 01 एवं 02, विशेष न्यायाधीश (एम. पी. एम.एल.ए.), विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट), विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधि), विशेष न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस.), भोपाल की ओर सूचनार्थ।

(3) समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल/बैरसिया,

(4) प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग भोपाल/बैरसिया,

(5) समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड भोपाल/बैरसिया,

(6) रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट भोपाल,

(7) प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय भोपाल

(8) अध्यक्ष, तृतीर्य श्रेणी कर्मचारी संघ जिला न्यायालय भोपाल,

(9) प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(10) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)